इकाई 11

विकास का लैंगिक परिप्रेक्ष्य

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना

11.2 पुरुष (लिंग) की संकल्पना

11.3 महिला, लिंग और विकास

11.4 लिंग और संविधान : भारत में महिलाएँ

11.5 भारत में विकास नियोजन

11.6 सी.एस.डब्ल्यू.आई. की समीक्षा एवं संसदीय अधिदेश

11.7 महिला विकास का उत्तर-आपातकालीन नियोजन

11.8 महिला और विकास पर छठी योजना इकाई

11.9 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

11.10 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

11.11 नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2000)

11.12 महिलाओं के लिए नीतियाँ और नियोजन

11.13 सारांश

11.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

अधिगम उद्देश्य

इस इकाई में आप निम्नलिखित का विवेचनात्मक विश्लेषण करेंगे:

- विकास में जेंडर परिप्रेक्ष्य की महत्व;
- भारत में जेंडर परिप्रेक्ष्य और विकास योजना; और
- जेंडर संबंधी मुद्दों से संबंधित नीतियाँ और कार्यनीतियाँ।

11.1 प्रस्तावना

विकास में लैंगिक (जेंडर) परिप्रेक्ष्य से संबंधित यह इकाई एक तरह से पिछली इकाई का क्रमिक भाग है, जो सामाजिक और मानव विकास पर है। मानव विकास उपागम, संवृद्धि से आगे का अध्ययन है और विकास के एक संसूचक के रूप में यह अन्य महत्वपूर्ण संसूचकों का आकलन करता है जो प्रत्यक्ष रूप से समृद्धि और शक्ति संपन्नता से जुड़े मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रश्न पूछता है कि विकास प्रक्रिया से किसको क्या मिला है? यह इकाई भी महिलाओं के संबंध में इसी प्रकार के प्रश्नों का हल ढूंढ़ने का प्रयास है।

यद्यपि कुल मानव आबादी में महिलाओं की संख्या आधी है, लेकिन विकास के लाभों में उनकी भागीदारी या अंश एकदम कम है। महिलाओं को मिलने वाले लाभों की कम प्रतिशतता ने यह मुद्दा उठाया है कि विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए। यह महसूस किया गया कि किसी भी विकास प्रक्रिया में स्त्री-पुरुष (जेंडर) परिप्रेक्ष्य के अभिन्न अंग के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। किसी भी समुदाय को जीवित रखने में हमेशा ही महिलाएँ उस समाज का अभिन्न अंग रही हैं।

महिलाओं ने केवल बच्चों के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व ही नहीं संभाला है, और समाज के विभिन्न क्रियाकलापों के साथ उन्हें एकीकृत नहीं किया बल्कि उन्होंने परिवार और समुदाय की दिन-प्रतिदिन आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अपना योगदान दिया है। महिलाएँ खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, कपड़े-बर्तन धोती हैं, भोजन एवं ईंधन इकट्ठा करती हैं, खेतों की जुताई करती हैं और कार्यालयों में श्रमिक के रूप में काम इत्यादि करती हैं। लेकिन उनके कुछ कार्यों को कार्य के रूप में समझा जाता है। महिलाओं को एक पृथक सत्ता के रूप में न देखना यह एक मूल कारण है और इसी वजह से उन्हें विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं माना जाता है। महिलाओं से संबंधित इन मुद्दों पर बढ़ती चर्चा के कारण विकास की चर्चा में स्त्री-पुरुष परिप्रेक्ष्य को शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस इकाई में हम इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हम भारतीय परिदृश्य पर विचार करेंगे तथा यह देखने और मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने में विभिन्न योजनाओं में क्या प्रयास किए गए। इन सबका अध्ययन करने से पहले हम स्त्री-पुरुष (जेंडर) शब्द को समझने का प्रयास करेंगे।

11.2 पुरूष (लिंग) की संकल्पना

जब हम महिला-पुरुष लिंग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आमतौर पर इससे हमारा मतलब इन दो लिंगों के बीच शारीरिक संरचना में पाए जाने वाले अंतर से होता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा अभिप्राय महिला और पुरुष के बीच की शारीरिक संरचना के अंतर से आगे उनकी सामाजिक भूमिका और स्थिति (हैसियत) से होता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति नारित्व का इस्तेमाल करता है, तो इसका अर्थ है नारी के गुण यानी पालन-पोषण, देख-भाल, मृदुलता, अतार्किक, सहज-अनुभूति, उदारता, आक्रमकहीनता इत्यादि। जब कोई महिला नारी के गुणों की सामाजिक उम्मीदों को पूरा नहीं करती है, तो उसे पूर्ण नारी नहीं माना जाता है या ऐसा माना जाता है कि वह पुत्री, माँ, बहिन की अपनी भूमिका को नहीं निभा रही है, जिनसे एक बिशेष प्रकार की भूमिका की उम्मीद की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भूमिकाएं सामाजिक सीमाओं में बंधी होती हैं और शक्ति संरचना से उत्पन्न होती हैं। विशेष व्यवस्था में संपूर्ण प्रणाली महिलाओं को समाज या परिवार में निचले स्तर पर रखती है। इस प्रकार के संस्थागत विभेद में शक्ति और हैसियत का झुकाव हमेशा पुरुषों के पक्ष में रहता है और पुरुष प्रधानता वाले विषय संबंधों की प्रमुखता रहती है। लेकिन इस प्रकार के सार्वभौमिक विभेद के बावजूद, विभिन्न स्थितियों और संदर्भों में जेंडर विभेदता में महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंतर पाए जाते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के चर के रूप में, जेंडर का विश्लेषण वर्ग, वंश, नृजातियता और जाति जैसे अन्य चरों के साथ किया जाता है।

लिंग संबंधों में महिला और पुरुष के सामाजिक अर्थ में अपना योगदान देते हैं और इस प्रकार महिलाओं और पुरुषों के समुचित व्यवहार को समझने में सहायता करते हैं। व्यवहार में जेंडर पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है महिलाओं और पुरुष के बीच पारस्परिकता की प्रकृति और उनकी सामाजिक भूमिका पर ध्यान देना। तब एक मान्यता यह बनती है कि जेंडर संबंध भी सामाजिक संबंध होते हैं, जैविक या प्राकृतिक संबंध नहीं होते। महिलाओं के संदर्भ में विकास का मूल्यांकन करते समय हम महिलाओं के जेंडर संबंधी पहलू को समझने का प्रयास करते हैं।

लिंग शब्द का अर्थ समझने के बाद अब हम देखेंगे कि विकास प्रक्रिया/परिचर्चा में किस प्रकार महिलाओं के मुद्दे उभरकर आते हैं। सामाजिक विश्लेषण के लिए जेंडर महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द है। उन सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियों को समझना महत्वपूर्ण है, जो यह निर्धारित करती हैं कि विकास में पुरुष और महिलाएँ किस प्रकार भाग लेते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं।

बॉक्स 11.1: 'दूसरे लिंग' पर सिमन डी बेवर (1949)

अपनी पुस्तक सेंकड सेक्स पर फ्रांसीसी लेखिका और महिलावादी सिमन डी बेवर ने लिखा था:

''महिला पैदा नहीं होती है बल्कि बन जाती है। कोई भी जैविक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक दशा उस आकृति का निर्धारण नहीं करती है कि समाज में मानव स्त्री रहती है, समग्र रूप से सभ्यता ने ही इस संरचना को बनाया है पुरुष और नपुंसक के बीच मध्यस्थ के रूप में नारीत्व का वर्णन किया है। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हस्तक्षेप ही एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति स्थापित कर सकता है।

अन्य सभी सामाजिक संबंधों की तरह, जेंडर लैंगिक संबंध भी प्रभावित होते हैं और इस पर प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकार समाज और अर्थव्यवस्था समय के साथ-साथ बदल जाते हैं (पर्सन, 1992)। समाजीकरण की प्रक्रिया और उत्पादन/निर्माण के सामाजिक संबंधों का सभी देशों और क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन की स्थिति पर एक विशेष प्रभाव होता है।

11.3 महिला, लिंग और विकास

विकास में महिलावाद और महिला के बीच की विचारधारा के बारे में अधिकतर रचनात्मक विचार-विमर्श यू.एन. 'महिला दशक' 1976-85 के दौरान हुआ। समानता विकास और शांति के नारी को प्रस्ताव के रूप में 1975 में मैक्सिको शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। समानता को एक ऐसे मुद्दे के रूप में देखा गया, जो औद्योगिक पश्चिमी देशों से आया था, शांति को पूर्वी देशों ने प्रस्तुत किया था और मुख्य मुद्दे के रूप में विकास को तीसरे विश्व की महिलाओं के संदर्भ में सामने रखा गया था। महिलाओं के संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार परिचर्चा की गई और अंत में यह महसूस किया गया कि महिलाओं के मुद्दे को एक अलग भाग के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए (विस्तृत विवरण के लिए बॉक्स 11.2 देखें)।

बॉक्स 11.2: महिला यू.एन. दशक - 1976-85 में उभरते मुद्दे

महिलाएँ विकास के लिए नये दृष्टिकोण को उजागर कर रही थीं जिसके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय बैठकें 1970 और 1980 के दशक में आयोजित की गई और इनमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के लिए महिलावादी दर्शन के बारे में सार्वजनिक घोषणा की गई। इस संबंध में आयोजित कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठकें, बैठकों का दर्शन और योजनाएं निम्नलिखित हैं :

महिला और विकास के लिए एशिया और प्रशांत केंद्र (ए.पी.सी.डब्ल्यू.डी.), 1979

इसकी बैठक का प्रायोजक संयुक्त राष्ट्र संघ था। इसकी बैठक बेंगकाक में हुई थी। इसने दो दीर्घकालिक लक्ष्यों की विचारधारा के रूप में महिलावाद की प्रथम वैश्विक परिभाषा का प्रस्ताव किया था। ये लक्ष्य थे। (1) महिलाओं के घर और घर से बाहर अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए महिला शक्ति द्वारा महिला समानता, अस्मिता और स्वतंत्रता की प्राप्ति, और (2) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायोचित, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सभी प्रकार की असमानता और दमन को दूर करना (सी.एफ. टिंकर 1990: 77)। विकास के महिलावादी दर्शन का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण था।

''भविष्य के लिए कार्यनीति का विकास : महिलावादी परिप्रेक्ष्य'' पर कार्यशाला, 1980

यह कार्यशाला स्टोनी प्वाइंट, न्यूयार्क में आयोजित की गई थी। इसने राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में विकास का सहारा लिया और विकास की सीमित परिभाषा के प्रति असंतोष व्यक्त किया, जो अपने को सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) जैसे सूचकांकों तक सीमित रखता था। इसने एकीकृतवादी उपागमों और महिला सशक्तिकरण की मांग की।

''अन्य महिला विकास पर डकर घोषणा, 1982'' का आयोजन सेनेगल में किया गया था। इस घोषणा का विश्वास था कि अन्य विकास का मूल और महत्वपूर्ण सिद्धांत संरचनात्मक रूपांतरण एक ऐसी अवधारणा होनी चाहिए जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और पारिवारिक स्तर पर आधिपत्य के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूपों को चुनौती देता हो (उपर्युक्त : 79)।

नैरोबी, यू.एन. दशक की समाप्ति, विश्व सम्मेलन, 1985

तीसरे विश्व की महिलाओं का एक समूह गठित किया गया जिसका उद्देश्य 'महिला के उत्कर्ष बिंदु' डी.ए.डब्ल्यू.एन. नये युग के लिए महिलाओं से संबंधित विकास विकल्प की दृष्टि से विकास के मुद्दों को परिभाषित करना था। इसने महिला आंदोलन और मुद्दों की सांस्कृतिक विविधता लेकिन साथ ही अधीनस्था को समझने के लिए संरचनात्मक एकता की मांग भी की। इसने संरचनात्मक रूपांतरण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और आत्मनिर्भरता के लिए गहन प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो पश्चिमी मॉडल की तुलना में स्वदेशी संस्कृति में विद्यमान है।

विकास प्रक्रिया में महिलाओं की अहम भूमिका को लगातार महसूस करने के फलस्वरूप ही 'विकास में महिला' जैसी संकल्पना का जन्म हुआ। विकास में महिला (डब्ल्यू.आई.डी) उपागम ने महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास प्रयासों में महिलाओं के एकीकरण को बढ़ावा दिया और इस बात पर ध्यान दिया कि समाज में महिलाओं की स्थिति को विकास प्रक्रिया ने किस प्रकार प्रभावित किया। विकास में महिला की भूमिका से संबंधित अध्ययन ने विकास और विकास के अर्थशास्त्र पर जो दिया अर्थात् इसने आर्थिक लाभों पर ध्यान दिया, केवल इसी संवृद्धि पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ''कौन क्या प्राप्त करता है'' मानव विकास के सूचक यह दर्शाते हैं कि विकास प्रक्रिया में महिला की समान भूमिका नहीं रही है और उन्हें हमेशा ही नकारात्मक विकास क्रम का द्योतक माना गया है।

जब कभी संसाधनों की कमी महसूस की जाती है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएँ सबसे अधिक और सबसे पहले प्रभावित होती हैं। विश्व में पाए जाने वाले संसाधनों में महिला का बहुत कम भागीदारी मिलती है और जब इसमें कमी आती है तो महिलाओं को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ता है। (सीगर और ऑल्सन 1986)। विश्व बैंक का विकास कार्यक्रमों में प्राथमिक (Early) महिला कार्यक्रम विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं को विकास कार्यक्रम का विशेष लक्ष्य समूह मानता है। लेकिन, 'विकास में महिला कार्यक्रम' की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह महिला को लाभार्थी के रूप में मानता है। यह इस संकल्पना से शुरू होती है कि महिलाओं को विकास से बाहर रखा गया है। जबकि महिलाओं का समय, शक्ति, कार्य और दक्षता विकास प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू में अपना योगदान देता है। स्त्री-पुरुष (जेंडर) संबंधों की असमानता और महिलाओं को हमेशा अधीनस्थ सदस्य के रूप में मानने की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं के योगदान को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से समान मान्यता प्राप्त नहीं है (पियर्सन 1992)।

विकास में महिला उपागम की समस्या यह है कि यह महिलाओं को विकास की मुख्यधारा का अंग बनाने का प्रयास करता है और इस तथ्य को अनदेखा करता है कि वास्तव में महिलाएँ विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग पहले से ही हैं। विकास प्रक्रिया में हमेशा ही महिलाएँ शामिल रहती हैं। महिलाओं के 'मुक्त श्रम' का अर्थ यह है कि इसकी क्षतिपूर्ति की कोई जरूरत नहीं है और इसके फलस्वरूप संसाधन आबंटन के रूप में इसकी कोई लागत नहीं होती। लेकिन, 'वास्तविक' स्थिति यह है कि महिला घरेलू श्रमिक, पुरुष कार्यबल एवं समाज को अपना काम करने के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करती हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका में उत्पादक और पुनरुत्पादक दोनों भूमिकाओं का सम्मिश्रण शामिल होता है। महिलाओं की उत्पादक भूमिका में वे सभी कार्य शामिल हैं जो परिवार और समुदाय की आय और संसाधनों में वृद्धि करते हैं जैसे फसल और पशुधन, हस्तशिल्प उत्पादन, विपणन और वेतनशुदा रोजगार।

पुनरूत्पादक गतिविधियों के कार्य हैं जो पुनरुत्पादन और परिवार तथा समुदाय की देखभाल के लिए किए जाते हैं। इसमें ईंधन और पानी लाना, भोजन तैयार करना, बच्चों की देखरेख करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर की देखभाल करना आदि शामिल हैं। इन गतिविधियों को गैर आर्थिक माना जाता है। इन कार्यों के लिए आमतौर पर किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती और प्रायः राष्ट्रीय आय लेखा के बजट में शामिल नहीं किया जाता है। वास्तव में, समाज में महिलाओं की भूमिका जीवन को बनाए रखती है। सेन और क्रौन (1988) के अनुसार, ''प्रत्येक समाज में महिला द्वारा अपने परिवार को खिलाना-पिलाना, उनके लिए कपड़ों का प्रबंध करना और पालन-पोषण करना उनके ऐसे अदृश्य कार्य हैं, जिनसे वे अपने समाज को बनाए रखती हैं''। सामाजिक पुनरुत्पादन की यह वास्तविकता श्रम के लैंगिक-विभाजन से व्युत्पन्न होती है जो जेंडर-विभाजन और पुरुष प्रधानता से बंधा हुआ है।

सेक्स एक शारीरिक विशेषता है जबकि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक होता है। मोगडम (1994) ने देखा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रम-विभाजन जेंडर-भूमिका का विषय है, न कि सेक्स भूमिका का। जिसका निर्धारण सेक्स की तुलना में संस्कृति द्वारा किया जाता है और श्रम विभाजन के प्रतिमान को समझने की शक्ति संस्कृति में होती है न कि मानव के मनोविज्ञान या शारीरिक-संरचना में। इसके साथ ही संस्कृति स्थिर या सतत (Constant) नहीं होती बल्कि प्रकृति से चर (परिवर्तनशील) होती है। जो विकास की गहराई और क्षेत्र, राज्य की नीति, वर्ग और सामाजिक संरचना जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

विकास में महिला का संबंध लोगों की वर्तमान स्थिति से है, यह 'महिला' को एक पृथक व्यवहार क्षेत्र के रूप में चिन्हित करता है। 'विकास में महिला' (डब्ल्यू.आई.डी.) की संरचना को 'जेंडर और विकास' (जीएडी) ने 1980 के दशक के अंत से अपने में मिला लिया। जेंडर और विकास ने अपने हस्तक्षेप का विस्तार किया है और संपूर्ण विकास परिप्रेक्ष्य, प्रक्रिया और उसकी मान्यताओं के साथ महिला और पुरुष दोनों के बीच संबंध को शामिल करते हुए असमानता के क्रमिक संबंध को शामिल कर लिया।

नीति (पॉलिसी) संरचना के जेंडर और विकास उपागम में उन माध्यमों को प्रदर्शित करने वाली कार्य विधियाँ शामिल हैं, जिसमें पुरुष और महिला के संबंध बाधित होते हैं अथवा वृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयासों को तेज करते हैं। जैसा कि यूरोपीय आयोग (1993) ने जेंडर सशक्तिकरण उपागम को 'नीति बनाने में महिलाओं की भागीदारी' के रूप में परिभाषित किया है। इसमें अत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने पर जोर दिया गया है जिससे वे समाज में और अधिक सक्रिय भूमिका अदा कर सकें। जेंडर सशक्तिकरण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए रचनात्मक कार्य द्वारा महिलाओं की स्थिति में असंतुलन को दूर करने का प्रयास करता है।

अभ्यास 11.1

जैसाकि हमने उल्लेख किया है, महिलाओं ने हमेशा ही परिवार, वृहत समुदाय और समाज की समृद्धि और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम किया है। फिर भी उन्हें उनके द्वारा किए गए कुछ ही कार्यों के लिए वेतन एवं मजदूरी दी जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए:

1. उन कामों की सूची बनाइए, जिन्हें महिलाएँ करती हैं और जिनके लिए उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है।
2. इस सूची को बनाने के लिए हम आपको निम्नलिखित के लिए भी प्रेरित करते हैं (क) प्रतिदिन इन कार्यों को करने वाली महिलाओं को ध्यान से देखें, और (ख) वे अपने काम के बारे में कैसा महसूस करती हैं, इस संबंध में उनसे बातचीत कीजिए।
3. इस प्रेक्षण और महिलाओं के साथ की गई बातचीत के आधार पर महिलाओं के कार्यों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और अपने सहपाठियों अथवा संयोजक/अध्यापक से इस पर चर्चा कीजिए।

11.4 लिंग और संविधान : भारत में महिलाएँ

शीर्ष-निम्न उपागम और वृद्धि-अभिमुख विकास परिप्रेक्ष्य के विरुद्ध आलोचना का स्वर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये महिलाओं को विकास का अभिन्न अंग बनाने में असफल रहे हैं इनसे लगातार समृद्ध और दरिद्र लोगों के बीच असमानता को बढ़ावा मिला है, जिसमें महिलाएँ दरिद्र और असहाय की स्थिति में हैं। आइए, देखते हैं कि भारत किस प्रकार से महिलाओं और विकास की समस्याओं का समाधान कर रहा है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका आकलन करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी नींव क्या है और कहाँ है और इसके लिए हमें सबसे पहले संवैधानिक गारंटी की जांच करेंगे और अगले भाग में हम महिलाओं से संबंधित भोजन और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

भारत द्वारा अपनाए गए लिंग विषयक सिद्धांतों का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, जो हमारे मूलभूत दस्तावेजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और जिसमें भारतीय संघ के उद्देश्यों की घोषणा की गई है। महिलाओं की समानता का उल्लेख संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) में किया गया है। अनुच्छेद 15 की उप-धारा समानता के अधिकारों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि : ''राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।''

इसके आगे संविधान के इसी अनुच्छेद की उप-धारा (3) में कहा गया है कि:

''इस अनुच्छेद का कोई भी अंश राज्य को महिलाओं और बच्चों के बारे में किसी भी प्रकार का विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।''

इस प्रकार संविधान महिलाओं को नागरिक के रूप में समान स्थिति प्रदान करता है। कुछ विशेष असक्षमताओं पर विचार करते हुए राज्य रचनात्मक कार्रवाई द्वारा उनको दूर करने का प्रयास करेगा। भारत के संविधान का भाग-IV "राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों" से संबंधित है। इसमें राज्य से इन सिद्धांतों के अनुसार महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय करने की अपेक्षा की गई है (देसाई 1994)। अनुच्छेद 39, 42 और 44 कुछ ऐसे सिद्धांतों से संबंधित हैं, जिन्हें कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाओं से समान नागरीक के रूप में व्यवहार करने के लिए इन्हें मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में अपनाया

जा सकता है। लेकिन संविधान की अन्य कई धाराएँ जैसे– धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसाकि अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है और इसे राज्य विद्यायिका द्वारा व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के रूप में दिया गया है, महिलाओं को उसके जीवन के लगभग सभी पहलुओं में मौलिक रूप से समानता से वंचित किया गया है। उन्हें व्यक्तिगत, आर्थिक लैंगिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक समानता और यहाँ तक कि अपने शरीर पर अधिकार के साथ-साथ कुछेक मान्यताओं, मूल्यों और मानकों तथा व्यक्तिगत आचार संहिता को मानने का भी अधिकार नहीं दिया गया है (उपर्युक्त)।

इसके साथ ही संविधान के सम्मिलित आर्थिक मान्यता, जैसा कि मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रत्येक परिवार में महिला के श्रम को अतिरिक्त के रूप में समझा जाता है, शोषण के रूप में समझा जाता है। महिलाओं को उनके पुरुष साथियों की तुलना में कम पारिश्रमिक दिया जाता है, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, मूलत: महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक हैं और घर पर महिला श्रम को शोषण के रूप में स्वीकार नहीं करते है, इस प्रकार यह राज्य का जेंडर के प्रति पक्षपात को दर्शाता है। राज्य द्वारा निजी धार्मिक कानूनों की आज्ञा, विश्व को धार्मिक आधार पर महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभावपूर्ण मानक और व्यवहार भी बढ़ावा देता है। निजी कानून, घरेलू, 'निजी' क्षेत्राभिमुख हैं। जबकि संविधान मुख्यत: 'सार्वजनिक क्षेत्र' के निजी कानून से ही संबंधित है। इसका निजी जीवन पर प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से महिलाओं की समाज में हैसियत, स्थिति, अधिकार और बाध्यताओं को स्वरूप प्रदान करने में ये कानून बहुत प्रभावी है। निजी कानूनों के माध्यम से निजी क्षेत्र में महिलाओं की पदोन्नति ने जेंडर न्याय और विकास के समग्र मुद्दे को व्यक्तिगत और सीमित बना दिया है जिसका समाधान विशिष्टीकृत निकायों द्वारा किया जाता है।

जिस तरीके से सामाजिक नीतियां महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उत्पन्न करती हैं और विकास के व्यवहार और कुछ विशेष कार्यों का सुझाव देती हैं, उससे ऐसे तत्वों एवं मूल्यों का पता चलता है जो राज्य के मार्गदर्शी कारक हैं। महिलाओं की चेतना को क्या हो इस तथ्य में राज्य की नारीत्व की परिभाषा से जुड़ी है और नारीत्व की यह परिभाषा सीमांत नहीं है बल्कि कल्याणवादी के उद्देश्यों पर पूर्ण रूप से केन्द्रित हैं (एलिजाबेथ 1989)

चिंतन एवं कार्रवाई 11.2

हमारे पास अधिदेश एवं प्रावधानों की पूरी श्रृंखला है जिन्हें हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है और जो भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं और इसके साथ-साथ ऐसे बहुत से विधानों पर भी केन्द्रित करते हैं जिन्हें इस संदर्भ में विशेष रूप से निर्मित किया गया है।

आपकी राय में तरीके से इन संवैधानिक प्रावधान एवं अधिनियमों ने भारत में महिलाओं की स्थिति को ऊचा उठाने में सहायता की है? अपने उत्तर को अपने निजी जीवन के किसी अनुभव से जोड़ कर व्यक्त करें।

11.5 भारत में विकास नियोजन

1950 से भारत में आरंभिक विकास नियोजन ने सामाजिक कल्याण सेवाओं की पहचान ऐसी एकमात्र श्रेणी के रूप में की जो अन्य लक्ष्य समूहों में महिलाओं की समस्याओं को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखती थी। ऐसा उपागम, एक ऐसी श्रेणी के रूप में महिलाओं की समझ का परिणाम था जिनके लिए विशेष (और अलग) कार्यक्रम, सेवाओं, रक्षोपाय आदि को

व्यावहारिक रूप दिया गया। सामाजिक कल्याणकारी सेवाएं ऐसे संवेदनशील समूहों तक पहुंच स्थापित करने पर लक्षित थी जो कि विविध श्रेणियों में विभाजित थे।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी.एस.डब्ल्यू.बी.) की स्थापना 1953 में हुई और जिसके समक्ष एक ऐसी विकट समस्या आई जो कि सरकारी ढांचे के अभाव से जुड़ी थी और ऐसी कल्याणकारी गतिविधियों से संबद्ध थी जिन्हें इस बोर्ड ने स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कल्याणकारी कार्यों को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया था। इस बोर्ड ने महिला संगठनों को सरकार की भागीदारी में ऐसी गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया। इस कार्य नीति के भाग के रूप में महिला संगठनों को संवर्धित किया गया विशेष रूप से उन संगठनों को जो कि बुनियादी स्तर के लोगों के साथ काम कर रही थी। पहली और पंच दूसरी पंच-वर्षीय योजनाओं के माध्यम से सी.एस.डब्ल्यू.बी. और समुदाय विकास कार्यक्रम अर्थात दोनों की सहायता से शिक्षा, स्वास्थ्य विशेष रूप से मात् एवं बाल स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने हेतु महिला मंडलों को वितरण तंत्रों के रूप में संवर्धित किया गया। वीना मजूमदार के अनुसार संस्थान निर्माण एवं महिला संसाधन विकास का ऐसा तालमेल महिलाओं को राजनीति एवं विकासत्मक प्रक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार करने पर भी केन्द्रित था। इसलिए यद्यपि इन कार्य नीतियों की भाषा 'कल्याण' के समकालीन अर्थ को प्रतिबिंबित करती थी फिर भी बदलाव की प्रक्रिया में महिला संगठनों को शामिल करके और उन्हें इस दिशा में उद्धीप्त करने का संकल्पनात्मक प्रयास भी किया जा रहा था यद्यपि अपर्याप्त रूप सुव्यक्त नहीं था। हालांकि बढ़ते नौकरशाही नियंत्रण और कार्यक्रमों के अधोगामी रेखांकन एवं सुप्रवाहण और निचले स्तर से संगठनात्मक एवं संस्थागत विकास के संदर्भ में घटते संसाधन सहयोग से ऐसे कार्यों को निम्न प्राथमिकता मिली और लैंगिक समानता को बढ़ाने में शामिल बुनियादी मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया गया।

तीसरी, चौथी और पंचवर्षीय योजनाओं ने संगठन निर्माण एवं मानव संसाधन विकास की कार्यनीतियों को सहयोग देने में गिरावट का अनुभव किया। महिला शिक्षा (1958-59) पर राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट ने कुछ ऐसी प्राथमिकता को देखा जो कि महिलाओं की शिक्षा के अनुरूप थी। तीसरी योजना के समय से आबादी नियंत्रण के मुद्दे के अनुसार ऐसी प्राथमिकताओं में घनी बढ़ोतरी पाई गई। चौथी योजना के आगे चलकर योजना आयोग के निदेशों को परिवार नियोजन को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य नियोजन के साथ जोड़ने में असफल रहें और निर्धन समूहों के बच्चों के अनुपूरक पोषण एवं उनकी देखभाल और भावी माताओं को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के साथ समेकित नहीं किया गया था। विकास नियोजन कार्यक्रम (1952) एक अन्य महत्वपूर्ण चरण था जो कि समुदायिक प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त विकेन्द्रित विकास पर लक्षित था। आगामी अनुभागों में हम ऐसी विविध योजना कार्यनीतियों एवं नीतियों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे जिससे पता चले कि विकास प्रक्रिया में महिलाओं का स्थान क्या और कैसा था।

11.6 सी.एस.डब्ल्यू.आई. की समीक्षा एवं संसदीय अधिदेश

वर्ष 1971 में शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जो कि भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत में महिलाओं की स्थिति पर आधारित थी। मंत्रालय, 1975 में 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' के लिए महिला रिपोर्ट की स्थिति के लिए यू.एन. के निवेदन पर काम कर रहा था। समिति के दो कार्य थे:

i) ऐसे संवैधानिक, कानूनी एवं प्रशासनिक प्रावधानों की जांच करना जिनका महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा एवं रोजगार पर अपना एक प्रभाव था और

ii) इन प्रावधानों के प्रभाव का निर्धारण करना।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अर्थव्यवस्था और समाज में महिला उत्पीड़न के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी थी। सी.एस.डब्ल्यू.आई. की टूवर्डस इक्वैलिटी (समानता की ओर) रिपोर्ट ने लिंग अनुपात में घटोतरी की जनसांख्यिकीय प्रवृतियों को पाया और स्त्री एवं पुरुषों के बीच जीवन प्रत्याशा एवं मृत्यु दरों में व्याप्त असमानता को पाया और महिलाओं की साक्षरता, शिक्षा और रोजी-रोटी तक पहुंच स्थापित करने में शामिल कठिनाइयों को देखा। इस रिपोर्ट का नजरिया था कि भारतीय शासन, लिंग समानता की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल रहा है। कृषि, उद्योग, मत्स्य पालन, पशुधन आदि एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास संबंधी नियोजन प्रक्रिया में ऐसी लाखों महिलाओं की मेहनत को कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी जो कि आजीविका अर्जन के कारणों की वजह से इन क्षेत्रों में शामिल थी। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की ऐसी बड़ी तादाद को दरकिनार करना और साथ ही साथ उनकी उपेक्षा करना और राज्य के सहयोग से समाज द्वारा उनके महत्व को कम करने की प्रक्रिया लिंग विषयक भेदभाव को दर्शाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक रोजगार के अवसर खोल कर और इन क्षेत्रों में बढ़ते निवेश से महिला आबादी के बहुत ही छोटे भाग को ही फायदा पहुंचा है। महिलाओं के ऐसे सुविधा प्राप्त भाग को दहेज, पर्सनल लॉ से उत्पन्न असमानता और मौजूदा नियमों के गैरप्रवर्तन जैसे सामाजिक व्यवहारों के संवर्धन से भी चुनौती मिली है। ऐसे मौजूदा नियमों को महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था जैसे श्रम या आपराधिक विधि लेकिन नियोजन प्रक्रिया में महिलाओं की आवश्यकताओं उनसे संबंधित चिंताओं के मुद्दे और परिप्रेक्ष्यों को लेकर महिलाओं की समग्र छवि का ऐसे कानूनों में अभाव था। यहां तक कि टूवर्डस इक्वैलिटी (समानता की ओर) रिपोर्ट पर संसदीय वादविवाद ने ऐसी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जिनसे भारतीय महिलाएं निरंतर ग्रस्त है। संसद में इसे पेश करने के कुछ ही हफ्तों में नेशनल एमरजेंसी (1974-77) की घोषणा ने सी.एस.डब्ल्यू.आई. की सिफारिशों पर किसी भी गंभीर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

11.7 महिला विकास का उत्तर-आपातकालीन नियोजन

1977 और 1980 के बीच के समय में सरकार की महत्वपूर्ण नीति समीक्षाओं को देखा गया। इनमें से प्रमुख थीं, महिलाओं के रोजगार पर श्रमजीवी समूह की रिपोर्ट (1977-78) ग्रामीण महिलाओं के ग्राम स्तर संगठनों के विकास पर श्रमजीवी समूह की रिपोर्ट 1977, 78 कृषि एवं ग्राम विकास में महिलाओं की सहभागिता एवं भूमिका पर राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट (1979-80)। ऐसी समीक्षाओं ने भारत में महिलाओं के विकास के लिए बुनियादी समस्याओं एवं कार्यनीतियों को स्पष्ट करने के लिए ठोस आधार दिया। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन एवं बगदाद में 1979 में महिला एवं विकास पर आयोजित विशेष सम्मेलन के माध्यम से महिला विकास पर भारतीय एजेंडे को संयुक्त राष्ट्र के मिड-डे केड प्रोग्राम ऑफ एक्शन में सम्मिलित किया गया। भारत ने महिलाओं की स्थिति पर गठित आयोग और मिड-डेकेड कोपेनहेगन सम्मेलन (1980) और प्रोग्राम आफ एक्शन के लिए निर्मित प्रारंभिक समिति में सदस्यता प्राप्त की। विकास पर तीसरी दुनिया के परिप्रेक्ष्यों पर जोर देने में भारत के योगदान को मिड-डेकेड कान्फ्रेंस के दौरान कबूल किया गया और इसी के मद्देनजर डिकेड की कार्यसूची के उप-विषय के रूप में रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मुद्दों को अपनाया गया।

वीना मजूमदार की इन कुछ वर्षों में की गई संकल्पनात्मक उपागम की जाँच ने महिलाओं की विकास आवश्यकताओं की पहचान बहु आयामी तरीके से की है जो कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के परे हैं और विविध क्षेत्रों पर महिलाओं की स्थिति की हर नजरिए से जाँच की माँग कर रही है। वह महिला विशिष्ट कार्यक्रमों या एजेंसियों तक इसे सीमित करने की बजाय महिलाओं के लिए विविध क्षेत्रक आबंटनों में उनके हिस्से की माँग करती है। उसने ग्राम रोजगार और विकास क संवर्धन की माँग भी की। उसने सेवा जैसी महिलाओं

के निजी प्रयासों से गठित संगठनों के माध्यम से महिलाओं के विकास की बात की।

दिसंबर 1979 में जारी छठी पंच वर्षीय योजना ने एक नयी शुरुआत की क्योंकि इस योजना में महिलाओं के लिए एक अलग इकाई का समावेश था। इस मसय तक महिलाओं की चिंता के मुद्दों को स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास, कृषि आदि ने व्याप्त क्षेत्रक उपागमों के अंतर्गत हमेशा शामिल किया गया था। यह इकाई महिलाओं के लिए साकल्यवादी नियोजन के मद्देनजर पहला प्रयास था। इसका मानना था कि महिलाओं की स्थिति में प्रमुख परिवर्तन लाए बिना आबादी नियंत्रण के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती थी। इस योजना के विकास सहयोग पर 'प्रशासनिक नवीकरण' और लिंग-वाट वितरण आंकड़ों के संग्रहण की आवश्कता का सूझाव दिया और उसके द्वारा सही तंत्र के साथ बेहतर जानकारी की प्राप्ति पर जोर दिया ताकि सुनिश्चित हो कि महिलाओं को सरकार के नजरिए से उनके लिए उपलब्ध उचित हिस्सा मिल रहा है और साथ ही साथ वृद्धि और वितरणशील न्याय के लिए समान अवसर भी मिल रहे हैं।

नियोजन प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता के सिद्धांतों ने ग्रामीण निर्धनों के संगठन के अनुरूप ग्रामीण महिलाओं के संगठन के लिए सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया ताकि उनकी 'सौदाकारी शक्ति' में बढ़ोत्तरी हो और विकास सहयोग तक उनकी पहुंच स्थपित हो सके। हालांकि 1980 में गठित नये योजना आयोग ने महिलाओं को पुन: सामाजिक सेवाओं की ओर मोड़ दिया था और महिलाओं के लिए विकसित उपागमों और परिप्रेक्ष्यों और विकासशील कार्यनीतियों पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस चरण पर महिलाओं के राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंत:क्षेप ने नियोजन प्रक्रिया पर ठोस प्रभाव छोड़ा। महिलाओं के कुछ एककों के बीच साझेदारी का काम शुरू हुआ और जिसे क्रम और रोजगार सामाजिक कल्याण और ग्राम विकास के मंत्रालयों में गठित किया गया था जो कि महिलाओं के बढ़ते आंदोलनों और महिला अध्ययन के बुद्धिजीवियों की देन थी। महिलाओं के सात संगठनों ने 1980 में संयुक्त ज्ञापन देने के लिए एकजुटता दिखाई और संसद की महिला सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त किया और जिसके फलस्वरूप छठी योजना में महिला और विकास पर एक इकाई को शामिल करने के योजना आयोग को प्रेरित किया। भारत के नियोजन इतिहास में यह एक बड़ी उपलब्धि थी।

11.8 महिला और विकास पर छठी योजना इकाई

महिला और विकास पर लक्षित इकाई ने महिलाओं की निम्न स्थिति को पहचाना और "स्वतंत्र रोजगार और आय" के अपर्याप्त अवसरों और जनाकिकी प्रवृत्तियों (उच्च मर्त्यता, निम्न आर्थिक सहभागिता, साक्षरता, लिंग-अनुपात आदि) में इसके कारणों को पाया। इसने महिलाओं के विकास के लिए बहु-धारी लेकिन अंतर-निर्भर कार्यनीति को परिभाषित किया जो कि समग्र विकास प्रक्रिया पर आधारित होगी। 'कृषि और वास भूमि' जैसी हस्तांतरित परिसंपत्तियों के मामले में सरकार की पुन: वितरण नीतियों ने वादा किया कि सरकार पति और पत्नी को साझा नाम देने का प्रयास करेगी। इसने बुनियादी स्तर की महिलाओं के स्वैच्छिक संगठनों को सृदृढ़ करने की भी बात की जिसे कि महिलाओं के लिए ऐसे माध्यमों के रूप में देखा गया ताकि महिलाएं भी ऐसे निर्णयों में भाग ले सकें जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं और विविध स्तरों पर महिलाओं की बेहतरी के लिए किए जाने वाले प्रयासों को ऊंचा उठाते हैं। शिक्षा के लिए विशेष सहयोग सेवाओं का हर तरह की शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विस्तारित किया गया। ट्राइसेम कार्यक्रम में महिलाओं के कोटे की संस्था और एक-तिहाई संख्या की मैजिक फिगर पहली बार देखने को मिली। छठी योजना में ऐसे क्षेत्रों में निवारक उपायों का भी प्रस्ताव था जहाँ महिलाओं का रोजगार काफी कम था या धीरे-धीरे कम हो रहा था।

11.9 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

सातवीं पंच वर्षीय योजना में महिलाओं और युवाओं के लिए लाभप्रद रोजगार की प्राप्ति के प्रावधान पर जोर दिया गया था। इस योजना ने महिलाओं को ऐसी सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में संगठित करने की कार्यनीतियों पर पुन:जोर देने की बात कही गई थी, ताकि महिलाओं की समग्र स्थिति को आर्थिक रूप से विकसित करने के साथ-साथ उनकी सामाजिक शक्ति को सुदृढ़ बनाया जा सके। एक्चुअल प्लान डाक्यूमेंट की 14वीं इकाई में पहली बार नारीत्व से जुड़ी भाषा का प्रयोग पहले से प्रबल पितृसतात्मक ढांचे के विरुद्ध किया गया था, जहाँ महिलाओं का अस्तित्व उत्पीड़ित पर्यावरण तक सीमित था। यह एक संयोग की बात है कि यह ऐसा समय था जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की भयावह हत्या भी हुई थी और उस समय सरकार में बदलाव आ रहा था। हालांकि महिलाओं के कारणों के लिए सरकार के भीतर और बाहर यह आशावाद का समय था। भारत सरकार ने नैरोबी में आयोजित की जाने वाली यूएन सम्मेलन में अपना सहयोग करने के लिए महिला और विकास पर द्वितीय नाम (गुट निरपेक्ष) सम्मेलन आयोजित किया। ग्रामीण महिलाओं के संगठनों और विकास पर आईएलओ प्रायोजित ऐफ्रो-एशियन सम्मेलन में भारत के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों नजरियों को भी सराहना मिली। ग्राम विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत कोटे की घोषणा की। ग्राम विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण के अनिवार्य भाग के रूप में लिंग संवेदनशीलता की शुरुआत करने के प्रयास किए जाने लगे।

केंद्र में नव गठित सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग गठित किया। इसमें महिलाओं के लिए शिक्षा, संस्कृति, खेल और युवा मामलों जैसे मुद्दों के विकास का समावेश था। महिलाओं के आंदोलनों और सरकार के भीतर अंदरूनी संघर्ष से उत्पन्न दबाव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा पर दो पैराग्राफों को शामिल किया गया। पहली बार यह संदेश सुनने की मिला कि हर तरह की शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का विस्तार करने के साथ-साथ सभी संस्थानों में व्याप्त पद्धति को जेंडर की सामाजिक संरचना में बदलाव के माध्यम से महिलाओं के असल सशक्तिकरण की जिम्मेवारी में अपना योगदान देना होगा।

इस योजना काल की अन्य भारी उपलब्धि थी, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रभावी प्रतिनिधित्व का मुद्दा। शुरुआत में इस संदर्भ में सीएसडब्ल्यूआई की सिफारिशों को धीरे-धीरे हटा दिया गया। जनवरी 1985 से सचिव, सामाजिक कल्याण द्वारा इन सिफारिशों पर बहस शुरू करने का प्रयास किया गया। इसके परिणाम को सही रूप लेने में दो वर्षों का समय लगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन पी पी) बनाने की शुरुआत की गई। इस निर्धनता के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए स्व-रोजगार प्राप्त महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग (एन सी एस ई डब्ल्यू) का गठन किया गया। एन पी पी (1988) संसद, राज्य सभाओं और स्थानीय स्व-शासन निकायों में सभी निर्णयन संबंधी स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता और मौजूदगी को बढ़ाना चाहती थी और इन सभी स्तरों पर उसने 30 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव भी दिया।

महिला आंदोलनों द्वारा एन पी पी की भारी आलोचना की गई। अंतत: 1992 में 73वां और 74वां सांविधानिक संशोधन देखने को मिले। उन्होंने इन निकायों को सांविधानिक प्रस्थिति प्रदान की और नियमित चुनावों का आदेश दिया और महिलाओं को विस्तृत शक्ति / संसाधन सौंपे और स्थानीय निकायों के विविध स्तरों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों को आरक्षित किया। महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर महिलाओं के आंदोलन संगठनों के नामांकन के सुझावों का खंडन कर दिया। उन्होंने राज्य सभाओं और संसद में भी आरक्षण को नामंजूर

कर दिया। हालांकि पंचायत और नगर निगमों के मामले में ऐसे महत्वपूर्ण जन की प्राप्ति की मांग की गई जो कि अधिक उत्पीड़ित वर्गों से नये नेतृत्व और चिंता के नये मुद्दों को उखाड फेंक सके।

11.10 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

प्लान डाक्यूमेंट का भाग। महिलाओं का उल्लेख सिर्फ आबादी नियंत्रण की आवश्कयता के संदर्भ में ही करता है। सेक्टोरेल यूनिटों के भाग 1 में महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के संदर्भ में ही सिर्फ महिलाओं का उल्लेख किया गया है। इस भाग में महिलाओं के कोटे के सिद्धांत या आबंटनों में इन्हें कोई विशेष तरजीह देने जैसी किसी बात का उल्लेख नहीं है।

महिलाओं के विकास की धारा में वर्णित नयी विशेषताओं में महिला के प्रति हिंसा पर एक पैराग्राफ शामिल है और इनमें दो पृष्ठ का स्थितिगत विश्लेषण भी शामिल है जो महिलाओं में बढ़ती बेरोज़गारी, उच्च मर्त्यता और निम्न शिक्षा जैसे समस्याओं को उजागर करता है। इसके अलावा इसमें महिलाओं के कार्य के महत्व के संदर्भ में व्याप्त संकल्पनात्मक, प्रणालीतंत्रीय और दृष्टिकोण संबंधी पूर्वाग्रहों पर भी प्रकाश डाला गया है जो कि अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं की एकाग्रता से जुड़े हैं और जिनके परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए तो कोई पक्के रोजगार है और श्रम नियमों में उनकी सुरक्षा का प्रावधान नहीं है और जहाँ ऋण, प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच नहीं है और अन्य किस्म के विकास कार्यों में उन्हें किसी तरह के सहयोग की प्राप्ति नहीं है। पहली बार बालिका (Girl Child) पर पैराग्राफ देखने को मिला जिसके साथ विशेष कार्यक्रमों का वायदा भी था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया जिससे महिलाओं के लिए सांविधिक लोकपाल के रूप में काम करने के लिए अधिनियमन, अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के लिए स्वायत्त राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया ताकि विधि और नीतियों की समीक्षा की जा सके और महिलाओं के सदंर्भ में हिंसा के व्यक्ति विशेष मामलों में दखल दिया जा सके और महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने वाले कार्यों में हस्तक्षेप किया जा सके। 1991 में बालिकाओं के लिए गठित राष्ट्रीय कार्य योजना ने छोटी बालिकाओं की उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास और सहभागिता के लिए समयबद्ध सिफारिश की और जहाँ स्त्री/पुरुष भेदभाव की समाप्ति और एक जैसे अधिकारों और महिलाओं की सर्वव्यापकता पर विशेष जोर दिया गया था। जेंडर के विचारणीय मुद्दों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए जेंडर न्याय और जेंडर समानता की प्राप्ति के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए निर्मित मसौदा राष्ट्रीय नीति ने नीति निर्देशों को सामने रखा।

11.11 नवी पंचवर्षीयं योजना (1997-2000)

नवीं योजना के महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। नवीं योजना के अप्रोच पेपर में मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण के मुद्दों, योजना बनाने में जन की सहभागिता, विकेंद्रीकरण और नीतियों के नियोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत में नियोजित विकास के इतिहास में पहली बार नवी योजना के उद्देश्य के रूप में महिला सशक्तिकरण को अपनाया गया था। इस अप्रोच पेपर में प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के लिए महिला घटक योजना विकसित करने की कार्यनीति भी घोषित की गई जो महिलाओं को प्राप्त फायदों की पहचान करेगी और क्षेत्र में पहले किए गए जेंडर मूल्यांकन के निष्पादन पर भी प्रकाश डालेगी। विकास के क्षेत्र में पहली बार संसद और राज्य सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा की गई। योजना ने सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दिया और सिविल सेवाओं में महिलाओं के बड़े भाग के प्रवेश की बात भी कही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले की तरह प्रजनन स्वास्थ्य पर जोर दिया जायेगा और शिक्षा के क्षेत्र

में जेंडर समानता के अलावा कॉलेज स्तर तक बालिकाओं की नि:शुल्क शिक्षा की शुरुआत करने की और बालिकाओं के लिए अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना की शुरुआत करने की बात कही गई। देश के औद्योगिक विकास में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, योजना महिला उद्यमियों के लिए 'विकास बैंक' स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है ताकि लघु और सूक्ष्य किस्म के क्षेत्र में महिला उद्यमियों की सहायता की जा सके। कृषि क्षेत्र में ग्राम विकास रोजगार योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को अधिक सहयोग और हिस्सा देने की बात कही गई। योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकल्प, महिला विकास सेक्टरों के लिए 30 प्रतिशत निधि प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए योजना में विशेष महिला घटक का समावेश था।

चिंतन और कार्रवाई 11.3

1) महिला विकास मुद्दे के संदर्भ में किस प्रकार सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ एनजीओ जैसे सिविल समाज पहलों से भिन्न है। चर्चा कीजिए।
2) सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐसे पांच प्रयासों को सूचीबद्ध कीजिए जिनसे महिलाओं की समस्याओं को दूर करने में सहायता मिली है।

11.12 महिलाओं के लिए नीतियाँ और नियोजन

भारत में महिला विकास संबंधी नियोजन और नीति सूत्रीकरण की समीक्षा राज्यों में महिलाओं के लिए नीति गठन और नियोजन में प्रयासों की कमी को दर्शाती है। महिलाओं की आवश्यकताओं और विकास का बड़ा हिस्सा उन्हें देने में अपेक्षित अनिवार्य तरीकों के संदर्भ में बहुत कम विचारों की उत्पत्ति की गई है। भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में महिला के विकास की नीतियों पर गौर किया जा रहा है। ऐसे प्रयास अपर्याप्त हैं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। ज्यादातर पहल का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है।

भारत जैसे संघीय राज्य के लिए कोई भी विकास प्रक्रिया तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकारें महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह महसूस न करें। राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संगठनों की अधिकाधिक शामिल करना। महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति का ऐसा तंत्र हो सकता है। इसके अलावा स्त्री/पुरुष की पूर्ण समानता की प्राप्ति के लिए देश के सभी विकास कार्यक्रमों में हमें तंत्र को शामिल करना होगा।

11.13 सारांश

इस इकाई के विविध अनुभागों के माध्यम से हमने सामान्य और भारतीय संदर्भ में अर्थात् इन दोनों में विकास परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति और जेंडर की संकल्पना का अध्ययन किया। हमने देखा कि जेंडर सशक्तिकरण उपागम सफलता के अनिवार्य बिंदु के रूप में किस प्रकार निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता की पहचान करता है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और आत्म-विश्वास को बढ़ाना है ताकि महिलाएं भी समाज में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर सकें। विकास प्रक्रिया में जेंडर के समावेशन से यह बात पक्की हो जाती है कि विकास का अनुभाव, स्त्री और पुरुष अपनी सामाजिक स्थिति, मूलवंश, वर्ग और औपनिवेशिक इतिहास आदि के आधार पर अलग-अलग ढंग से करते हैं। विविध स्तरों पर ऐसी संरचनाओं और स्थितियों की ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं ने महत्वपूर्ण भौतिक और गैर-भौतिक संसाधनों पर पहले से अधिक पहुंच और नियंत्रण कायम किया है। इसके अलावा जेंडर आधारित विकास का केंद्र बिंदु ऐसे जेंडर संबंध पर है जो मौजूदा असमानताओं को निर्धारित करता है। महिला सशक्तिकरण

के उपायों में शामिल हैं : लाभप्रद निर्णयन प्रक्रियाओं और समुदाय शक्ति संरचन के लिए आवश्यक ऋण, प्रशिक्षण, कौशल और संसाधन। महिलाओं के विकास का अर्थ है, निहित संरचनात्मक असमानताओं को नियंत्रित करने में उनकी पहुंच। विकास में जेंडर ऐसा उपागम है जो महिलाओं के जीवन की गुणवताओं के बेहतर बनाने में ठोस कार्रवाई के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करता है।

11.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

टिम औलेन एंड अलैन थॉमस (संपा.) पावर्ट्री एंड डेवलपमेंट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, नई दिल्ली।

सेठ मित्रा, 2001, विमेन एंड डेवलपमेंट : इंडियन एक्सपीरियंस। सेज पब्लिकेशन : नई दिल्ली।

खंड IV
सतत विकास के उपागम